कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)
राष्ट्रीय राजमार्ग 15 श्री गंगानगर रोड लूनकरनसर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

हिस्सा आधारित खेती निविदा प्रपत्र

1. निविदा सूचना: एफ/केविके/लूनकरनसर/ 2023-24/45 दिनांक: 27/05/2023
2. कार्य की अनुमानित अवधि: खरीफ 2023 व रबी 2023-24
3. निविदादाता/ठेकेदार का नाम (पैन कार्ड की प्रतिलिपि लगावे): ....
4. निविदादाता/ठेकेदार का पता..
....
5. निविदा फार्म शुल्क रशीद संख्या.................... दिनांक.................... रकम................
6. निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:

क्र सं	विवरण	निविदादाता द्वारा रखे जाने वाला हिस्सा	निविदादाता द्वारा केंद्र को दिए जाने वाला हिस्सा
1.	दाना/ बीज उपज		

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने निविदा की समस्त शर्तो को सावधानी से पढ़ लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है मैं उल्लेखित सभी शर्तो पर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल चलन वाला हूँ व मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है और ना ही मैं किसी भी वितीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता/ ठेकेदार

निविदादाता/ ठेकेदार का नाम..

दिनांक..

मोबाइल न..

कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)
राष्ट्रीय राजमार्ग 15 श्री गंगानगर रोड लूनकरनसर
प्रसार शिक्षा निदेशालय
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

कार्य का विवरण एवम शर्ते

क्र सं	केन्द्र का नाम: कृषि विज्ञान केन्द्र, लूनकरनसर (बीकानेर-II)	
1	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2023 व रबी 2023-24
2	अमानत राशि की प्रकृति एवम राशि (E.M.D.)	रु 25,000/- नकद या डिमांड ड्राफ्ट
3	निविदादाता/ ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण	16.0 हेक्टेयर भूमि पर फसलों के बीज उत्पादन एवम फसल उत्पादन (मूंगफली, मूंग, ग्वार, मोठ, चना, गेहू, जौ, सब्जी व अन्य फसल)

हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा शर्ते

1	निविदा फार्म कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो की कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 27/05/2023 प्रात 10.00 से 08/06/2023 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2	मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के नाम देय होनी चाहिये।
3	निविदादाता को निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में दिनांक 08/06/2023 दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा तथा निविदाये कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के कार्यालय में दिनांक 08/06/2023 दोपहर 2.30 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।
4	निविदा दाता को अमानत राशि/धरोहर राशि 25,000/- रुपये नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो, सलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना फार्म निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।
5	कार्यालय आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर (रू एक लाख) कार्यालय में बतौर अमानत राशि/धरोहर राशि जमा करवाने होंगे तथा उपरोक्त राशि निविदादाता को ठेका संतोषजनक पूर्ण होने पर मय अमानत राशि वापिस लौटा दी जाएगी। अमानत राशि/धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होंगा।
6	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रील द्वारा व बुवाई फर्टिलाईजर ड्रील, थ्रेसर की व्यवस्था निविदादाता/ठेकेदार द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में केन्द्र का कोई योगदान नहीं रहेगा ।
7	बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, खाद-उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जावेगी।
8	फार्म पर देय हिस्सा आधारित खेती के क्षेत्रफल एवं फसल का निर्णय फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । हिस्सा आधारित खेती का क्षेत्रफल घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। निविदादाता/ठेकेदार अपनी इच्छा से फसल एवं फसल के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकेगा। फसल व क्षेत्र के निर्धारण में निविदादाता/ठेकेदार का कोई एतराज मान्य नहीं होगा। निविदादाता/ठेकेदार को केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्णय मानने की बाध्यता होगी।

9	फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फंफूदनाशक, कीटनाशक व अन्य रसायन, पानी की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा परन्तु श्रमिक अवयव व उपकरण निविदादाता/ठेकेदार के ही होगें ।
10	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग करवाने संबंधी मजदूरी तथा उसके बाद उत्पाद की साफ सफाई करके बोरियां भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को ही वहन करने होगें ।
11	स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा का विधुत वितरण की उपलब्धता पर पूर्ण उपयोग करना होगा, चाहे वह दिन में आए या रात्री में ।
12	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज व केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के निर्देशनुसार करनी होगी तथा खास श्रमिक अवयव निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा ।
13	बीज उत्पादन या फसल उत्पादन कार्यक्रम को समय पर न करने व पशुयों द्वारा फसल को सम्पूर्ण व आंशिक क्षति पहुँचाने की दशा में व चोरी आदि की परिस्थितियों में खेती में व्यय राशि, बीज, रासायनिक दवाये व संस्था द्वारा अन्य निर्धारित व्यय आदि खर्चो को निविदादाता के अंतिम भुगतान व धरोहर राशि से संस्था हित में भरपाई की जायगी ।
14	थ्रेशिंग के बाद प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण बीज उत्पाद को सूखा व साफ़ करवा कर केंद्र द्वारा लिया जायेगा । निविदादाता के हिस्से के बीज उत्पाद की एवज में निविदादाता को उपज जमा करने के समय स्थानीय मंडी में प्रचलित मासिक ओसत दर से हिस्सा उत्पाद का मूल्य केंद्र द्वारा निविदादाता को दिया जायेगा। लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता निम्न होने पर दर का निर्धारण केंद्र द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा किया जायेगा । कमेटी द्वारा निर्धारित मूल्य को मानना निविदादाता की बाध्यता होगी । बीज उत्पादन के लिए की गई खेती पर निविदादाता को पोधो की छटाई व गुणवत्ता बनाये रखने की एवज में स्थानीय मंडी में प्रचलित साप्ताहिक ओसत दर या संबंधित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी अधिक हो उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया जायेगा। उक्त भुगतान दाना (बीज) पूर्णतया साफ़ (जैसे डुकली की चुगाई आदि) करने पर दिया जायेगा ।
15	थ्रेशिंग के बाद प्राप्त होने वाला चारा शत प्रतिशत निविदादाता का होंगा ।
16	व्यसायिक फसल उत्पादन में स्थानीय मंडी की मासिक ओसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त नहीं दिया जायेगा लेकिन दाना (बीज) की सफाई करनी होगी ।
17	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्ट्ठा करना हैं व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्ट्ठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्राली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है। परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी ।
18	निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होगें । प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज अथवा केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा ।
19	बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा तथा किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता/ठेकेदार को मानना बाध्य होगा । किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र लूणकरणसर रहेगा।
20	फसल में रोगिंग / अपवांछन कार्य फार्म मेनेजर, फार्म इन्चार्ज केंद्र प्रभारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की देखरेख में करना होगा ।

21	निविदादाता/ठेकेदार को खरीफ व रबी की फसलो में कम से कम दो बार निराई गुड़ाई आवशक रूप से करनी होगी ।
22	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ऑपरेशन निविदादाता/ठेकेदार को ही करना होगा ।
23	फसलों की रखवाली करने की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी इसमें शिथिलता बरतने या नुकसान होने पर समिति द्वारा आकंलन करवाया जायेगा जिसे निविदादाता/ठेकेदार के भूगतान में से काट दिया जायेगा ।
24	फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लाये तथा ना हीं यहां से हरा चारा वगैरह ले जाने दिया जायेगा ।
25	निविदादाता/ठेकेदार को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना-जाना करना होगा । किसी भी अवांछित आदमी को फार्म में आने की ईजाजत नहीं होगी ।
26	सफल निविदा दाता स्वीकृत कार्य करने से इंकार करता है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी अथवा निविदा दाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो भी उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व करवाये गये कार्य का बकाया भुगतान जप्त करके ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा ।
27	सिंचाई नालो व पाटलो की साफ़ सफाई का कार्य निविदादाता/ठेकेदार को करना होगा तथा माह में कम से कम एक बार खालो की सफाई करनी होगी जिसका खर्चा निविदादाता/ठेकेदार को वहन करना होगा ।
28	सभी प्रकार के टैक्स वहन की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
29	कार्य की अवधि खरीफ 2023 से रबी 2023 -24 तक की होगी। इस अवधि के दौरान फार्म की स्थिति व उत्पादन के संतोषजनक होने पर आगामी वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फार्म प्रभारी / वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से कार्य के संतोषजनक संपादन का प्रमाण पत्र लेना होगा ।
30	फार्म प्रक्षेत्र में उगे पेड़ एवं अन्य सम्पति को किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। नुकसान होने पर निविदादाता/ठेकेदार से नुकसान वसूला जायेगा ।
31	फार्म से किसी भी तरह की सामग्री को बाहर ले जाने व लाने की लिखित अनुमति केंद्र प्रभारी से पूर्व में लेनी होगी व सामान केवल कार्यालय समय में ही लाया ले जाया जा सकेगा।
32	निविदादाता/ठेकेदार द्वारा फार्म पर किसी भी तरह का कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।
33	निविदादाता द्वारा अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगया जायेगा। निविदादाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के ही सेवक होंगे उनका कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविधालय से कोई संबंध नहीं होगा।
34	किसी श्रमिक की दुर्धटना से मृत्यू या अन्य दुर्धटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती राशी का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सबंध में केंद्र से क्षतिपूर्ती की मांग की जावेगी ।
35	निविदादाता के श्रमिको द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया गया तो उसका हर्जाना निविदादाता को भुगतना पडेगा अथवा जमा धरोहर राशि या देय भुगतान में से काटा जायेगा । निविदादाता या उसके श्रमिको द्वारा यदि फार्म पर कोई गेर क़ानूनी गतिविधि संचालित की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।

36	निविदादाता को पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड व आधार कार्ड की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से लगानी होगी व निविदादाता को अपने बैंक खाते का विवरण भी जमा करवाना होंगा ।
37	फसलो उत्पादन के दौरन किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (शीत लहर, ओला, आग जनी) आदि की स्तिथि में हुई क्षति होने पर केंद्र द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुहावजा या क्षतिपूर्ति या फसल बीमा योजना का लाभ नही दिया जायगा और न ही ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुहावजा या क्षतिपूर्ति की मांग करेगा ।
38	निविदादाता द्वारा हिस्सा खेती की भरी गई दर न्युनतम / उच्चतम को मानने के लिए कमेटी बाध्य नही होगी, कमेटी का निर्णय ही सर्वमान्य होंगा ।
39	हिस्सा आधारित खेती का कार्य पूर्ण होने पर निविदादाता को कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर से नो डयूज़ लेना होंगा ।
40	निविदादाता को कृषि कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सलग्न करना अनिवार्य होंगा ।
41	निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पशचात ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।
42	निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प रु 500/- पर इकरारनामा/अनुबन्ध पत्र टाइप करवाकर तथा नोटेरी से प्रमाणित करवाकर केंद्र में निविदा स्वीकृत होने के दो दिन में जमा करवाना होंगा एवं दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदा दाता उक्त शर्तो का उलघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सुचना के समाप्त कर दिया जायेगा व उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी ।

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Lunkaransar

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर

मैने (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्ते पढ ली हैं तथा मुझे मंजूर है एंव मै उपरोक्त शर्तो पर हिस्सेदारी का कार्य करने के लिये सहमत हूँ । यदि मेरे द्वारा उक्त शर्तो का उलघन किया जाता है या मेरा कार्य किसी भी स्तर पर संतोषजनक नही पाया जाता है तो हिस्सा आधारित खेती के अनुबंध को निरस्त करके मेरी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी ।

हस्ताक्षर निविदादाता/ ठेकेदार

निविदादाता/ ठेकेदार का नाम..

पता ....

दिनांक...

मोबाइल न...

कमेटी सदस्यों के हस्ताक्षर